

प्रेस विज्ञप्ति

Press Release

आईआरडीएआई विनियामक ढाँचे को और मजबूत करता है

IRDAI further strengthens the Regulatory framework

एक कुशल, प्रगामी, और अग्रदर्शी विनियामक ढाँचे को बनाये रखने के लिए, विनियामक ढाँचे की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने मार्च 2024 तक 9 सिद्धांत-आधारित विनियम जारी किये हैं। विनियामक संरचना को मजबूत करने की प्रक्रिया के अनुक्रम में निम्नलिखित 5 विनियम/संशोधन अधिसूचित किये गये हैं।

I. विनियामक सैंडबाक्स संबंधी विनियम

बीमा क्षेत्र में नवोन्मेषण, अनुकूलनीयता और परिचालनगत कौशल को बढ़ावा देने के लिए विनियामक सैंडबाक्स ढाँचे को आगे और मजबूत किया गया है।

उक्त विनियम अब अधिक सिद्धांत-आधारित हैं जिनके द्वारा परिचालनगत पहलू एक मास्टर परिपत्र के माध्यम से जारी किये जाएँगे।

उक्त सैंडबाक्स के विस्तार को उन प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ाया गया है जो नवोन्मेषण को विकसित करते हैं, कुशलता तथा व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाते हैं। एक उल्लेखनीय परिवर्धन एक से अधिक वित्तीय क्षेत्रों में अंतर-विनियामक सैंडबाक्स प्रस्तावों को फाइल करने के लिए समर्थकारी उपबंध है।

II. विनियमित संस्थाओं के द्वारा सूचना का अनुरक्षण करने तथा प्राधिकरण के द्वारा सूचना की साझेदारी करने से संबंधित विनियम

आईआरडीएआई (विनियमित संस्थाओं के द्वारा सूचना का अनुरक्षण तथा प्राधिकरण के द्वारा सूचना की साझेदारी) विनियम, 2025 निम्नलिखित का समेकन है:

- आईआरडीए (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2012
- आईआरडीएआई (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण) विनियम, 2015
- आईआरडीएआई (जाँच और निरीक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम सूचना) विनियम, 2020

उक्त विनियम सुदृढ़ सुरक्षा और गोपनीयता के उपायों से युक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखने की पद्धति को अनिवार्य बनाता है, विनियमित संस्थाओं से डेटा अभिशासन ढाँचे को अपनाने और अभिलेख रखने की पद्धति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को कार्यान्वित करने की अपेक्षा करता है।

यह गोपनीय सूचना की साझेदारी करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है; तथा यह अनिवार्य बनाता है कि डेटा को केवल भारत में स्थित डेटा केन्द्रों में ही रखा जाए और उसका अनुरक्षण किया जाए।

III. बैठकों से संबंधित विनियमों में संशोधन

बैठकों को संचालित करने के संबंध में परिचालनगत लचीलेपन, अभिशासन और कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, निम्नलिखित तीन विनियमों में संशोधन अधिसूचित किये गये हैं :

- आईआरडीएआई (बैठकें) (संशोधन) विनियम, 2025
- आईआरडीएआई (बीमा सलाहकार समिति) (संशोधन) विनियम, 2025
- आईआरडीएआई (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) (संशोधन) विनियम, 2025

ये परिवर्तन एक आधुनिक, गतिशील और सिद्धांत-आधारित कुशल विनियामक ढाँचे की दिशा में आईआरडीएआई के व्यापक अग्रसरण के अनुरूप हैं। नवोन्मेषण, संवर्धित अभिशासन मानदंडों और डेटा सुरक्षा के अनुरक्षण संबंधी शर्तों का विकास करने के द्वारा ये उपाय धारणीय वृद्धि का संचालन करने, परिचालनों में कार्यकुशलता को सुधारने तथा गतिशील बीमा परिदृश्य में पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण को कायम रखने का लक्ष्य रखते हैं।

As a part of the comprehensive review of regulatory framework to maintain an agile, progressive, and forward-looking regulatory framework, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has issued 9 principle based regulations till March, 2024. In continuation of the process of strengthening the regulatory architecture the following 5 regulations/amendments have been notified.

I. Regulations on Regulatory Sandbox

To promote innovation, adaptability and operational efficiency in the insurance sector, the Regulatory Sandbox framework has been further strengthened.

The Regulations are now more of principle-based whereby operational aspects will be issued through a master circular.

The scope of the sandbox has been expanded to encourage proposals that foster innovation, improve efficiency and ease of doing business. A notable addition is an enabling provision to file Inter-Regulatory Sandbox proposals, cutting across more than one financial sector.

II. Regulations on Maintenance of Information by the Regulated Entities and Sharing of Information by the Authority

IRDAI (Maintenance of Information by the Regulated Entities and Sharing of Information by the Authority) Regulations, 2025 is a consolidation of the following:-

- IRDA (Sharing of Confidential information concerning domestic or foreign entity) Regulations, 2012
- IRDAI (Maintenance of Insurance Records) Regulations, 2015
- IRDAI (Minimum Information required for Investigation and Inspection) Regulations, 2020

The Regulation mandates electronic record-keeping with robust security and privacy measures, requires regulated entities to adopt data governance framework and implement Board approved policies for record maintenance.

It also sets guidelines for sharing confidential information; and mandates data to be held in data centres located and maintained in India only.

III. Amendments to Meetings Regulations

In order to enhance operational flexibility, governance and efficiency of conducting meetings, amendments to the following three regulations have been notified:

- IRDAI (Meetings)(Amendment) Regulations, 2025
- IRDAI (Insurance Advisory Committee) (Amendment) Regulations, 2025
- IRDAI (Re-Insurance Advisory Committee) (Amendment) Regulations, 2025

These changes align with IRDAI's broader move towards a modern, dynamic and principle-based efficient regulatory framework. By fostering innovation, enhanced governance norms and stipulations of maintenance of data security, these measures aim to drive sustainable growth, improve efficiency in operations and uphold policyholder protection in the dynamic insurance landscape.
